न्यायालयः विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. प्रकरण, प्रतापगढ, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी सुरेशचन्द बसंल,
R.J.S. (D.J. Cadre)

जमानत आवेदन संख्या 311/2026
(प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 32/2022 थाना धमोतर)

कमल उर्फ कमलेश पुत्र श्री मांगीलाल, उम्र-50 वर्ष, निवासी-काजलीखेड़ा,
पुलिस थाना-रठांजना, जिला-प्रतापगढ़ (राजस्थान)

--- प्रार्थी/ अभियुक्त

ब ना म

राजस्थान राज्य --- विपक्षी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस

उपस्थित

01. श्री अमजद खान, अधिवक्ता प्रार्थी /अभियुक्त की ओर से ।
02. श्री दिनेश खड़िया, विशिष्ठ लोक अभियोजक ।

आ दे श **दिनांक 21.07.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त कमल उर्फ कमलेश की ओर से जमानत का यह प्रथम आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत किया गया, नकल विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलवायी गयी।

2. संक्षेप में अभियोजन कहानी के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 01.03.2022 को थानाधिकारी धमोतर श्री मुंशी मोहम्मद द्वारा मय जाब्ता व अनुसंधान सामग्री थाना धमोतर के सामने नेशनल हाईवे पर की जा रही नाकाबन्दी के दौरान समय 07.55 एएम पर छोटीसादडी की तरफ से आये आईसर ट्रक कन्टेनर एच.आर. 63 बी 8617 को रूकवाकर कन्टेनर चालक अभियुक्त सुमेरराम के कब्जाधीन कन्टेनर की शंका के अधीन तलाशी लिये जाने पर उसमें भरे कुल 153 कट्टो से कुल 30 क्विंटल 41 किलो 100 ग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद हुआ । अनुसंधान से यह पाया गया कि प्रार्थी अभियुक्त कमल उर्फ कमलेश ने अपने साथी मदन पाटीदार, हुसैन, सुनील मीणा के साथ मिलकर अफीम डोडाचूरा कमल सिंह राणा के कन्टेन में भरवाया था । प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी नहीं हो पाने के कारण उनके विरूद्ध धारा 173 (8) द.प्र.सं. के तहत अनुसंधान जारी रखते हुए अभियुक्त सुमेराराम के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। कालान्तर में प्रार्थी को दिनांक 05.07.2026 को

प्रकरण में गिरफ्तार किया गया । प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार है -

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	पुलिस थाने का नाम	प्राथम सूचना रिपोर्ट किस अपराध में संस्थित हुई	वर्तमान में मामला किस अपराध के तहत् अन्वेषणाधीन है	प्रार्थी की गिरफ्तारी की दिनांक	प्रार्थी के विरूद्ध अन्य दर्ज/लंबित/ सजायाब प्रकरणों की संख्या	पूर्व में प्रस्तुत जमानत आवेदन की स्थिति/प्रथम आवेदन
1	2	3	4	5	6	7
32/2022	धमोतर	08/15 एनडीपीएस एक्ट	08/15, 29 एनडीपीएस एक्ट	05.07.2026	02	प्रथम

3. दौराने बहस प्रार्थी अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध नही किया है, उसे झूंठा फंसाया गया है । प्रार्थी से कोई बरामदगी नहीं हुई है । प्रार्थी को अन्य अभियुक्तगण के द्वारा पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए किए गए संस्वीकृतिकारक कथनों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, ऐसे कथन विधिनुसार साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अभियुक्त सुमेराराम माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार एवं अन्य अभियुक्तगण दिनेश, दिनेश उर्फ कालु, कमल सिंह राणा तथा दिलीप माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार व अभियुक्त शिवलाल उर्फ सुभाष इस न्यायालय के आदेश से जमानत पर आजाद हैं। जमानत पर आजाद अभियुक्तगण दिनेश, दिनेश उर्फ कालु, कमल सिंह राणा, दिलीप तथा शिवलाल उर्फ सुभाष से प्रार्थी का प्रकरण निम्न स्तर का है । प्रकरण के अनुसंधान एवं अन्वीक्षा में काफी समय लगेगा । माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत खेत सिंह बनाम राजस्थान राज्य में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसाण में प्रार्थी/अभियुक्त जमानत की गुहार करता है । प्रार्थी के अभिरक्षा में रहने से उसका परिवार गम्भीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है । अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

अभियोजन की ओर से प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

4. मैंने दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया। प्रकरण अत्यधिक भारी मात्रा में 30 क्विंटल 41 किलो 100 ग्राम अवैध डोडाचूरा की बरामदगी का है तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध यह आरोप है कि उसने बरामद डोडाचूरा ने अपने साथी मदन पाटीदार, हुसैन, सुनील मीणा के साथ मिलकर अफीम डोडाचूरा कमल सिंह राणा के कन्टेन में भरवाया था किन्तु अभियुक्त सुमेराराम, जिससे विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी हुई है, वह माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार एवं अन्य सह अभियुक्तगण दिनेश, दिनेश उर्फ कालु, कमल सिंह राणा एवं दिलीप माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जमानत पर आजाद हैं । इसके अतिरिक्त अभियुक्त शिवलाल उर्फ सुभाष इस न्यायालय के आदेश दिनांक 09.02.2026 से जमानत पर आजाद है । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से जमानत पर आजाद अभियुक्तगण दिनेश, दिनेश उर्फ कालु, कमल सिंह राणा एवं दिलीप से एवं इस न्यायालय के आदेश दिनांक 09.02.2026 से जमानत पर आजाद अभियुक्त शिवलाल उर्फ सुभाष से प्रार्थी का

प्रकरण कतई गम्भीर नहीं है । प्रार्थी दिनांक 05.07.2026 से अभिरक्षा में है, प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है । प्रार्थी का बताया गया आपराधिक इतिहास निम्नवत है –

क्र.सं.	प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा प्रकरण का क्रमांक	अपराध धारा	प्रकरण संस्थित होने की दिनांक	प्रकरण की वर्तमान स्थिति (Status)	गिरफ्तारी की दिनांक	रिहा किये जाने की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	01/2022 थाना रठांजना	08/15, 29 एनडीपीएस एक्ट	04.01.2022	जैर ट्रायल	--	--
2	131/2022 थाना पिपलियामण्डी	08/18, 25, 29 एनडीपीएस एक्ट	--	--	--	--

पूर्व में विवेचित उपरोक्त तथ्यो के मध्येनजर इस न्यायालय के विनम्र मत में उपरोक्त अन्य प्रकरण प्रार्थी के विरूद्ध पंजीबद्ध होने के आधार मात्र पर प्रार्थी को जमानत की सुविधा से वंचित किया जाना समीचीन नहीं होगा । अतः माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत खेत सिंह बनाम राजस्थान राज्य में प्रतिपादित सिद्धांतो की रौशनी में इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किये बिना प्रार्थी /अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

11. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त कमल उर्फ कमलेश पुत्र श्री मांगीलाल, उम्र-50 वर्ष, निवासी-काजलीखेड़ा, पुलिस थाना–रठांजना, जिला–प्रतापगढ़ (राजस्थान) की ओर से प्रस्तुत यह प्रथम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस एतदद्वारा एतदद्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से रूपये एक लाख का निजी बंध पत्र व रूपये पचास–पचास हजार की दो स्थावर सम्पत्ति धारक मौतबीर जमानतें, जिनमें से कम से कम एक पारिवारिक सदस्य की जमानत होगी, इस न्यायालय के संतोषानुसार प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दी जावे व उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे ।

(सुरेशचन्द बंसल)

12. आदेश आज दिनांक 21.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुरेशचन्द बंसल)

DEEPAK SINGH CHAUHAN
Digitally signed by DEEPAK SINGH CHAUHAN
Date: 2026.07.22 15:50:12 +0530